



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :-	469	MAP NO-	20190225191412127
Plot/House	PLOT NO-02	Block/Sector/Type	---
Permit Date	29.06.2019	Scheme	39
Permit No.	1055/BHAWAN/ONLINE/2018-19	Application Date	25.02.2019
Area(Place)	EMERALD GULISTAN (J.K. RAYON) JAJMAU		
Land Usage	REVISED LAYOUT-PLAN		
Applicant's Name	J.K. COTTON LTD. FORMLY KNOWN AS J.K.COTTON SPINNING AND WEAVING MILL COMPANY LTD.		
Present Address	J.K. COTTON LTD, DWARIKADHEES, TEMPLE ROAD, KAMLA TOWER KANPUR NAGAR..		

Sanctioned vide order dated :-30.05.2019 V.C. by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


ज्योति प्रसाद
Authorised Signatory

कां वि० प्रा०

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

1
Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जायें।
6. वाटर हार्वैस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वैस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वैस्टिंग की व्यवस्था रूफटाप क्षेत्रफल के आधार पर अर्हता प्राप्त दक्ष इंजीनियर से डिजाइन कराकर निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
10. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
11. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
12. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. उ0प्र0 एपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के प्राविधानों में भाग 4(5) का अनुपालन करना होगा तथा अपार्टमेन्ट एक्ट में प्राविधानित प्रारूपों पर समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
14. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
15. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
16. मानचित्र की स्वीकृति संशोधित तलपट मानचित्र उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुकिया कदापि अनुमन्य नहीं होगी।
17. आंतरिक विकास कार्य पूर्ण कराने की गारण्टी के रूप में अवशेष 48.10 वर्ग मी0 भूमि बन्धक रखना होगा।
18. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी वाद-विवाद के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
19. यदि भविष्य में कोई वित्तीय देयता होने पर देय होगी।
20. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में तलपट मानचित्र में प्रस्तावित यूनिट घनत्व के अनुरूप ही यूनिट घनत्व अनुमन्य किये जायेंगे तथा प्रस्तावित भूखण्डों के सेटबैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथा संशोधित के अनुसार होंगे।
21. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
22. मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वाद में पारित निर्णय मान्य होगा।
23. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के समस्त प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
24. अनावसीय भवनों में यू0पी0ई0सी0बी0सी0 कोड-2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार-100 कि0वा0 या उससे अधिक हो अथवा कान्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए0 या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल-1000 वर्ग मी0 से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी0 (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल एनर्जी जनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
25. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा में प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।


Authorised Signatory
नगर नियाजक
कांवि०ग्रा०